






कालूराम बनाम गिरधारी वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

प्रकरण संख्या 29/2022 प्रा०पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

| क्रमांक | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---------|---------------------------|---|-------------|
| | 23/3/22 | <p>प्रार्थी की ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री रामगोपाल कुमावत द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 18/4/22 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">  उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान </p> | |
| | 19/4/22 | <p>उप खण्ड अधिकारी/अभिभाषक सच ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य <u>पूरे</u> हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 19/5/22 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">  सिडर </p> | |
| | 19/5/22 | <p>पत्रावली पेश हुई पत्रावली खर्च/आज्ञा 18/6/2022 को पेश की</p> <p style="text-align: center;">  उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान </p> | |
| | 18/6/22 | <p>उप खण्ड अधिकारी/अभिभाषक सच ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य <u>पूरे</u> हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 14/7/22 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">  सिडर </p> | |
| | 14/7/22 | <p>पत्रावली पेश हुई जजल में काट-2 माफज लगाते पर प्रार्थी कि 9 उरडे मजिस्ट्रा के अतिथरनी है अतः जजल कल धारि इतक उरडी के पेशी में लगेदिन किजा जाता है। पत्रावली जेजल 6/7/22 को पेशील दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान </p> | |